

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- डॉ. अंजली राजोरिया, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 115/2010

तारीख दायरा-19.08.2010

तारीख निर्णय-05.02.2018

1. श्री अर्जुनसिंह पिता श्री मोहब्बत सिंह राजपुत निवासी सेमड तहसील गोगुन्दा।
 2. श्री पनसिंह पिता श्री मोहब्बत सिंह राजपुत निवासी सेमड तहसील गोगुन्दा।
 3. श्री खुमसिंह पिता श्री मोहब्बत सिंह राजपुत निवासी सेमड तहसील गोगुन्दा।
 4. श्रीमती हंजाकुंवर पुत्री श्री मोहब्बत सिंह राजपुत निवासी सेमड तहसील गोगुन्दा।
-वादीगण

बनाम

1. श्री केसरसिंह पिता मोहब्बतसिंह राजपुत निवासी सेमड तहसील गोगुन्दा।
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92 ए आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री पुरुषोत्तम पुरी गोस्वामी

प्रतिवादी की ओर से- श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा सेमड - अ में आराजी नम्बर 1751, 1755 से 1764, 1766 से 1768, 1787 से 1790, 1873, 1874, 1896 से 1900, 1905 से 1912, 1938 एवं 1976 किता 35 कुल रकबा 3.9900 है0 एवं आराजी नम्बर 1132, 1133, 3468, 3511, 3521, 4307 किता 06 कुल रकबा 0.4150 है0 भूमि स्थित है। उक्त आराजियात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि होकर संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, परन्तु भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से वादी एवं प्रतिवादी के मध्य पाली डोली को लेकर विवाद होता रहता है एवं भूमि संयुक्त खातेदारी में होने से वादी अपने हिस्से की भूमि के विकास हेतु ऋण भी नहीं ले पा रहे हैं। वादीगण द्वारा प्रतिवादी को भूमि के विभाजन हेतु निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा कोई तत्परता नहीं दिखाने से वादीगण को उक्त वाद आप न्यायालय में संस्थित करना आवश्यक हो गया है। अतः निवेदन किया गया कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात



उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला, उदयपुर

का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में जवाब मय प्रतिदावा पेश किया अपने हिस्से की भूमि पर निषेधाज्ञा चाही है। वादी द्वारा भी अपने वाद में भूमि के बंटवाडे एवं अपने हिस्से की भूमि के लिये निषेधाज्ञा चाही है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का खातेदारान के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्धान के आधार पर राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवाड़ा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। बंटवाड़ा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है एवं जमीन भी पक्षकारान को लगभग-लगभग बराबर-बराबर दी गई है, जिससे पक्षकारान सहमत एवं किसी पक्षकार को कोई आपत्ती नहीं है। इसलिये विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा सेमड़ तहसील गोगुन्दा के आराजी नम्बर 1751 रकबा 0.0800, 1756 रकबा 0.0300, 1757 रकबा 0.0050, 1758 रकबा 0.0250, 1763 रकबा 0.0900, 1764 रकबा 0.1100, 1767 रकबा 0.1000, 1898 मी. रकबा 0.0250, 1899 मी. रकबा 0.0100, 1906 रकबा 0.1750, 1908/1 रकबा 0.0350, 1909/1 रकबा 0.0050, 1938 रकबा 0.3200 किता 13 कुल रकबा 1.0100 है० भूमि का केशरसिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपुत को, आराजी नम्बर 1976 मी. रकबा 0.2600, 1761 रकबा 0.1450, 1898/1 रकबा 0.0300, 1899/1 रकबा 0.0100, 1900 रकबा 0.0400, 1905 मी. रकबा 0.1300, 1909/2 रकबा 0.1200 किता 07 कुल रकबा 0.7350 है० भूमि का पनसिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपुत को, आराजी नम्बर 1760 रकबा 0.1850, 1896 रकबा 0.0800, 1907 रकबा 1850, 1908 मी. रकबा 0.2050, 1911 रकबा 0.1000, 1976/2 रकबा 0.1000, 1912 रकबा 0.0250, 1898/2 रकबा 0.0100 किता 8 कुल रकबा 0.8900 है० भूमि का खुमसिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपुत को, 1787 रकबा 0.1450, 1762 रकबा 0.1750, 1897 रकबा 0.0750, 1905/1 रकबा 0.1200, 1976/1 रकबा 0.1450, 1909 मी. 0.0700 किता 06 कुल रकबा 0.7300 है० भूमि का अर्जुनसिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपुत को,


उप खण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला, उदयपुर

आराजी नम्बर 1755 रकबा 0.0750, 1788 रकबा 0.0600, 1789 रकबा 0.0700, 1790 रकबा 0.0600 किता 04 कुल रकबा 0.2650 है0 भूमि का अर्जुनसिंह, पनसिंह, खुमसिंह पिता मोहब्बतसिंह राजपुत को, आराजी नम्बर 1759 रकबा 0.0200, 1766 रकबा 0.0450, 1768 रकबा 0.0950, 1874 रकबा 0.1400, 1873 रकबा 0.0400, 1910 रकबा 0.0200 किता 06 कुल रकबा 0.3600 है0 भूमि का केशरसिंह, अर्जुनसिंह, पनसिंह, खुमसिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपुत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एतदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजली राजोरिया)

IAS

उपखण्ड अधिकारी

गोगुन्दा उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

प्रारम्भिक वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारी:- डॉ. अंजली राजोरिया, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 115/2010

वादी पक्ष

1. श्री अर्जुनसिंह पिता श्री मोहब्बत सिंह राजपुत निवासी सेमड तहसील गोगुन्दा वगैरह।

प्रतिवादी पक्ष

बनाम

1. श्री केसरसिंह पिता मोहब्बतसिंह राजपुत निवासी सेमड तहसील गोगुन्दा।

वाद बाबत

अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

वादी की ओर से-

श्री पुरुषोत्तम पुरी गोस्वामी

प्रतिवादी की ओर से-

श्री महेन्द्र कुमार पालीवाल

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 05.02.2018 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है मौजा सेमड तहसील गोगुन्दा के आराजी नम्बर 1751 रकबा 0.0800, 1756 रकबा 0.0300, 1757 रकबा 0.0050, 1758 रकबा 0.0250, 1763 रकबा 0.0900, 1764 रकबा 0.1100, 1767 रकबा 0.1000, 1898 मी. रकबा 0.0250, 1899 मी. रकबा 0.0100, 1906 रकबा 0.1750, 1908/1 रकबा 0.0350, 1909/1 रकबा 0.0050, 1938 रकबा 0.3200 किता 13 कुल रकबा 1.0100 है0 भूमि का केशरसिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपुत को, आराजी नम्बर 1976 मी. रकबा 0.2600, 1761 रकबा 0.1450, 1898/1 रकबा 0.0300, 1899/1 रकबा 0.0100, 1900 रकबा 0.0400, 1905 मी. रकबा 0.1300, 1909/2 रकबा 0.1200 किता 07 कुल रकबा 0.7350 है0 भूमि का पनसिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपुत को, आराजी नम्बर 1760 रकबा 0.1850, 1896 रकबा 0.0800, 1907 रकबा 1850, 1908 मी. रकबा 0.2050, 1911 रकबा 0.1000, 1976/2 रकबा 0.1000, 1912 रकबा 0.0250, 1898/2 रकबा 0.0100 किता 8 कुल रकबा 0.8900 है0 भूमि का खुमसिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपुत को, 1787 रकबा 0.1450, 1762 रकबा 0.1750, 1897 रकबा 0.0750, 1905/1 रकबा 0.1200, 1976/1 रकबा 0.1450, 1909 मी. 0.0700 किता 06 कुल रकबा 0.7300 है0 भूमि का अर्जुनसिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपुत को, आराजी नम्बर 1755 रकबा 0.0750, 1788 रकबा 0.0600, 1789 रकबा 0.0700, 1790 रकबा 0.0600 किता 04 कुल रकबा 0.2650 है0 भूमि का अर्जुनसिंह, पनसिंह, खुमसिंह पिता मोहब्बतसिंह राजपुत को, आराजी नम्बर 1759 रकबा 0.0200, 1766 रकबा 0.0450, 1768 रकबा 0.0950, 1874 रकबा 0.1400, 1873 रकबा 0.0400, 1910 रकबा 0.0200 किता 06 कुल रकबा 0.3600 है0 भूमि का केशरसिंह, अर्जुनसिंह, पनसिंह, खुमसिंह पिता मोहब्बत सिंह राजपुत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(अंजली राजोरिया)

IAS
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा जिला उदयपुर